न्यायालय सहायक कलक्टर रियांबड़ी जिला नागौर
बईजलास श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस
मुकदमा संख्या 112/24

वादी :–

1–मिठुराम पुत्र पेमाराम जाति जाट
निवासी टेहला तहसील रियांबड़ी जिला नागौर

प्रतिवादीगण :–

1– रतनाराम पुत्र संग्राम
2–शिवराज पुत्र पांचुराम
3–सुखाराम पुत्र पांचुराम
4–मोडाराम पुत्र पांचुराम
5–भींयाराम पुत्र पांचुराम
6–मोतीराम पुत्र पांचुराम
7–जिमनादेवी पत्नी संगाम
8–दाखादेवी पत्नी पांचुराम
9–मोहवनी देवी पुत्री संग्राम
10–रेखा दोहित्री पांचुराम
11–रामलाल दोहित्रा पांचुराम
12–सुनिता दोहित्री पांचुराम
13–सीता पुत्री पांचुराम
14–सोहवनी देवी पुत्री संग्राम
सभी जातियान जाट निवासीगण टेहला तहसील रियांबड़ी जिला नागौर
15–तहसीलदार रियांबड़ी

दावा बाबत बंटवाड़ा व खातेदारी घोषणा अंतर्गत धारा 53 व 88 आर.टी.एक्ट।

निर्णय

दिनांक :– 3/2/24

वादी का वाद निम्नलिखित पेश कर निवेदन है कि :–

1–यह है कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 14 हिन्दु है तथा हिन्दु विधि की मिताक्षरा शाखा से गर्वन होते है।

2–यह है कि मौजा टेहला के खसरा नंबर 198 रकबा 1.0100 हैक्टर, खसरा नंबर 236 रकबा 0.7900 हैक्टर, खसरा नंबर 265 रकबा 0.4700 हैक्टर, खसरा नंबर 269 रकबा 0.1000 हैक्टर,खसरा नंबर 271 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नंबर 272 रकबा 3.5500 हैक्टर, खसरा नंबर 353 रकबा 0.1600 हैक्टर कुल रकबा 6.0900 हैक्टर तथा खसरा नंबर 216 रकबा 1.1300 हैक्टर, खसरा नंबर 268 रकबा 0.5500 हैक्टर, खसरा नंबर 1379/280 रकबा 1.000 हैक्टर,खसरा नंबर 1378/280 रकबा 0.0200 हैक्टर की भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 व 8 की संयुक्त काश्त व कब्जसुद भूमि आई हुई है। उक्त सम्पूर्ण आराजी पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 व 8 का सहूलियत से अलग अलग काश्त व कब्जा है। उक्त खसरान की भूमि आगे वादी में मुतनाजा आराजी के नाम से सम्बोधित की गई है।

3–यह है कि वादग्रस्त खसरान की भूमि पूर्व में वादी के पूर्वजों की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद थी। जिनके स्वर्गवास के बाद वादग्रस्त खसरान की भूमि वादी व प्रतिवादीगण को उतराधिकार में प्राप्त हुई है। इस प्रकार वादग्रस्त खसरान की भूमि

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला–नागौर

पक्षकारान की पैतृक भूमि है। तथा वादग्रस्त खसरान की भूमि में वादी को जन्म से अधिकार प्राप्त है।

4–यह है कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 14 ने वादग्रस्त आराजी का मौके पर सहूलियत अनुसार जुबानी बंटवाड़ा आज से करीब 2 वर्ष पूर्व कर लिया है। जिसका नजरी नक्शा परिशिष्ट–क– साथ में पेश है। जो दावा का भाग है। बंटवारा निम्न प्रकार से है :–

ए. वादी मिठुराम के बंट में :–

मौजा टेहला के खसरा नंबर 272 रकबा 3.5500 हैक्टर में सें रकबा 0.4100 हैक्टर + 0.9000 हैक्टर कुल रकबा 1.3100 हैक्टर,खसरा नंबर 268 रकबा 10.5500 हैक्टर में सें रकबा 0.4800 हैक्टर, खसरा नंबर 1379/280 रकबा 1.0000 हैक्टर में सें रकबा 0.5550 हैक्टर नजरी नक्शा में दर्शित अनुसार।

बी. प्रतिवादी संख्या 1 रतनाराम के बंट में :–

मौजा टेहला की सरहद में स्थित खसरा नंबर 272 रकबा 3.5500 हैक्टर में सें रकबा 0.8100 हैक्टर + 0.1000 हैक्टर कुल रकबा 0.9100 हैक्टर, खसरा नंबर 265 रकबा 0.4700 हैक्टर सम्पूर्ण नजरी नक्शा में दर्शित अनुसार।

सी. प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 शिवराज व सुखाराम के बंट में :–

मौजा टेहला के खसरा नंबर 272 रकबा 3.5500 हैक्टर में सें रकबा 1.2500 हैक्टर + 0.0800 हैक्टर कुल रकबा 1.3300 हैक्टर, खसरा नंबर 268 रकबा 0.5500 हैक्टर में सें 0.0700 हैक्टर, खसरा नंबर 269 रकबा 0.1000 हैक्टर,खसरा नंबर 353 रकबा 0.1600 हैक्टर, खसरा नंबर 1379/280 रकबा 1.0000 हैक्टर में सें रकबा 0.4450 हैक्टर नजरी नक्शा में दर्शित अनुसार।

डी. प्रतिवादी संख्या 4 मोडाराम के बंट में :–

मौजा टेहला के खसरा नंबर 198 रकबा 1.0100 हैक्टर।

ई. प्रतिवादी संख्या 5 भींयाराम के बंट में :–

मौजा टेहला के खसरा नंबर 236 रकबा 0.7900 हैक्टर सम्पूर्ण व खसरा नंबर 216 रकबा 1.1300 हैक्टर में सें रकबा 0.1600 हैक्टर नजरी नक्शा दर्शित अनुसार।

एफ. प्रतिवादी संख्या 6 मोतीराम के बंट में :–

मौजा टेहला के खसरा नंबर 216 रकबा 1.1300 हैक्टर में सें रकबा 0.9700 हैक्टर नजरी नक्शा में दर्शित अनुसार।

नोट :–खसरा नंबर 271 रकबा 0.0100 हैक्टर में वादी मिठुराम का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी रतनाराम का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादीगण शिवराम व सुखाराम प्रत्येके का 1/6–1/6 हिस्सा रखा गया है।

नोट :– प्रतिवादीगण संख्या 7 से 14 ने अपने बंट की ऐवज में सम्पूर्ण संतुष्टि प्राप्त कर ली है। जिससे वादगस्त खसरान की भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 7 से 14 का कोई हक व बंट, अधिकार,काश्त व कब्जा नहीं है।

5–यह है कि उपर वर्णित बंट के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 मौके पर काश्त व काबिज है तथा अलग अलग सीवें माठें कायम कर ली है। मगर विधिवत् बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस नहीं हुआ है। जिससे मुतनाजा खसरान का बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवाने हेतू वाद पेश है।

6– यह है कि खसरा नंबर 268 में वादी मिठुराम का नाम सहवन से मिसाराम दर्ज हो गया जो मात्र एक लिपकीय भूल है। वादी का वास्तविक नाम मिठुराम ही है। जिससे खसरा नंबर 268 की खातेदारी में वादी का नाम मिसाराम के स्थान पर मिठुराम दर्ज किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला–नागौर

-यह है कि इस्तदुआ वादी यह है कि दावा वादी की डिकी बहक वादी खिलाफ तिवादीगण मय खर्चा के निम्नलिखित तरीके से सादिर फरमायी जावें।

क.यह है कि घोषणा की डिकी इस प्रकार से सादिर फरमायी जावें कि वादपत्र के पैरा संख्या 4 के वर्णितानुसार व नजरी नक्शा परिशिष्ट –क– में दर्शित अनुसार भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद है तथा राजस्व रेकार्ड दुरूस्त किया जाकर खसरा नंबर 268 में वादी का नाम मिसाराम के स्थान पर मिठुराम दर्ज किया जावें।

ख. यह है कि मुतनाजा खसरान का बंटवारा वाद पत्र के पैरा संख्या 4 में बताये अनुसार व नजरी नक्शा में दर्शितानुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 का सेपरेट पजेशन कायम करवाया जावें। तथा उसी अनुसार अलग अलग खातेदारी का इन्द्राज किया जावें व बिगौड़ी की रकम अलग की जावें तथा प्रतिवादीगण संख्या 7 व 9 से 14 का नाम खातेदारी से हटाया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन जबाब बाबत तलब किया गया। वकील वादी व वकील प्रतिवादी संख्या 1 से 14 मय वकील के हाजिर होकर अपना राजीनामा पेश किया गया। जो बाद पहचान के तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में बताया गया कि वादग्रस्त आराजी वादी एंव प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की काश्त व कब्जासुदा है। जिसका सहूलियत से बंटवाड़ा किया हुआ है। भूमि पैतृक है और उतराधिकार में प्राप्त हुई है। जिसका आपसी सहमति से बंटवाड़ा करवाना चाहते है। इसलिए पक्षकारान ने राजीनामा पेश किया गया है। अतः पक्षकारान के राजीनामा के अनुसार एंव राजीनामा के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार इनका बंटवारा कर सेपरेट पजेशन कायम करवाया जावें।

वकील वादी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर मौजुद राजस्व रेकार्ड यथा जमाबंदी मौजा टेहला का अवलोकन किया गया जिससे पाया गया कि वादग्रस्त आराजी पक्षकरान की संयुक्त खातेदारी की काश्त व कब्जासुदा है। वादग्रस्त आराजी में पक्षकारान के हिस्सा खुले हुए है। भूमि पैतृक है और उतराधिकार में प्राप्त हुई है। पक्षकारान आपसी सहमति से बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवाना चाहते है। मौके पर बंटवारा किया हुआ है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। तथा वादी व प्रतिवादीगण के बीच राजीनामा व संलग्न नजरी नक्शा अनुसार बंटवाड़ा किया जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।

1– वादी मिठूराम के बंट में :–

मौजा टेहला के खसरा नंबर 272 रकबा 3.5500 हैक्टर में सें रकबा 0.4100 हैक्टर, + 0.9000 हैक्टर कुल रकबा 1.3100 हैक्टर,खसरा नंबर 268 रकबा 0.5500 हैक्टर में सें रकबा 0.4800 हैक्टर,खसरा नंबर 1379/280 रकबा 1.0000 हैक्टर में सें रकबा 0.5500 हैक्टर तथा खसरा नंबर 1378/280 रकबा 0.0200 हैक्टर में सें 1/2 वां हिस्सा नजरी नक्शा में दर्शित अनुसार।

2– प्रतिवादी संख्या 1 रतनाराम के बंट में :–

मौजा टेहला के खसरा नंबर 272 रकबा 3.5500 हैक्टर में सें रकबा 0.8100 हैक्टर + 0.1000 हैक्टर, कुल रकबा 0.9100 हैक्टर,खसरा नंबर 265 रकबा 0.4700 हैक्टर सम्पूर्ण नजरी नक्शा में दर्शिता अनुसार।

3– प्रतिवादी संख्या 2 व 3 शिवराज व सुखाराम के बंट में :–

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला–नागौर

मौजा टेहला के खसरा नंबर 272 रकबा 3.5500 हैक्टर में सें रकबा 1.2500 हैक्टर + 0.0800 हैक्टर कुल रकबा 1.3300 हैक्टर,खसरा नंबर 268 रकबा 0.5500 हैक्टर में सें रकबा 0.0700 हैक्टर,खसरा नंबर 269 रकबा 0.1000 हैक्टर,खसरा नंबर 353 रकबा 0.1600 हैक्टर नजरी नक्शा में दर्शित अनुसार।

4– प्रतिवादी संख्या 4 मोडाराम के बंट में :–
मौजा टेहला के खसरा नंबर 198 रकबा 1.0100 हैक्टर।

5–प्रतिवादी संख्या 5 भींयाराम के बंट में :–
मौजा टेहला के खसरा नंबर 236 रकबा 0.7900 हैक्टर सम्पूर्ण,खसरा नंबर 216 रकबा 1.1300 हैक्टर में से रकबा 0.1600 हैक्टर नजरी नक्शा में दर्शिता अनुसार।

6– प्रतिवादी संख्या 6 मोतीराम के बंट में :–
मौजा टेहला के खसरा नंबर 216 रकबा 1.1300 हैक्टर में सें रकबा 0.9700 हैक्टर नजरी नक्शा में दर्शित अनुसार।

7– प्रतिवादी संख्या 08 दाखा देवी पत्नि पांचुराम के बंट में :–
मौजा टेहला के खसरा नबर 1379/280 रकबा 1.0000 हैक्टर में सें रकबा 0.4450 हैक्टर, खसरा नबर 1378/280 रकबा 0.0200 हैक्टर में सें 1/2वा हिस्सा नजरी नक्शा में दर्शित अनुसार।

नोट :– खसरा नंबर 271 रकबा 0.0100 हैक्टर में वादी मिठुराम का 1/3 हिस्सा,प्रतिवादी रतनाराम का 1/3 हिस्सा, व प्रतिवादीगण शिवराम व सुखाराम प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा रखा गया है।

प्रतिवादीगण संख्या 7 व 9 से 14 ने अपने बंट की ऐवज में सम्पूर्ण संतुष्टि प्राप्त कर ली है। जिससे वादग्रस्त खसरान की भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 7 व 9 से 14 का कोई हक,बंट अधिकार काश्त व कब्जा नहीं होने से इनका नाम खातेदारी से हटाया जाता है। खसरा नंबर 268 में वादी का नाम मिसाराम के स्थान पर मिठूराम दर्ज किया जावें।

तहसीलदार रियांबड़ी उपरोक्तानुसार पक्षकारान के बीच संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार बंटवारा किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व नक्शे में तरमीम की जावें। इसी आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार रियांबड़ी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 3/2/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेशकुमार)
उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला नागौर